राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्ति

शिक्षा सत्र 2010–11 में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रारूप मे ंआवेदन पत्र आंमंत्रित किये जाते हैं । छात्रवृत्तियों के आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से नीचे दिये गये पते पर दी गई समय सीमा अधिकतम दिनॉक 31.10.2010 तक प्राप्त हो जाने चाहियें ।

पात्रता / शर्तें –

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. तथा म.प्र. के विश्वविद्यालयों से वर्ष 2009–10 में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होगी ।
2. यह छात्रवृत्तियॉ केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिये दी जाती है ।
3. सामान्य शिक्षा के लिये स्वीकृत एकीकृत छात्रवृत्ति, व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश पाने पर स्थानांतरित नहीं की जावेगी ।
4. संस्कृत छात्रवृत्ति के लिये केवल प्राच्य पद्वति के संस्कृत महाविद्यालयों के छात्रों के ही आवेदन मान्य किये जावेंगे ।
5. एकीकृत छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय 25,000 / – से अधिक न हो ।
6. वेतन भोगी अधिकारी / कर्मचारी अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये ।
7. अन्य आय वर्गीय व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी / नोटरी व्दारा आय घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
8. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र संस्था प्रमुखों के माध्यम से समय सीमा दिनॉक 30.9.10 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
9. इच्छुक छात्र–छात्रायें अपने शैक्षणिक संस्थाओ के संस्था प्रमुंख के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर भेजें ।

   आवेदन पत्र संचालनालय को भेजने के पूर्व संस्था प्रमुख उन्हें भेजी गई छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका के अध्याय–3 पृष्ठ 28–29 में दी गई प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें ।
10. चाही गई छात्रवृत्ति का नाम आवेदन के उपरी भाग में बडे अक्षरों में लिखें ।
11. अग्रेषणकर्ता संस्था प्रमुख व्दारा आय सीमा से अधिक के आवेदनों पर बडे अक्षरों में आय सीमा की बडी रबर मोहर आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर लगायें ।

12. संकाय वार छात्रवृत्ति का विवरण निम्न अनुसार है :–

स. क्रं.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
1.	शोध	विज्ञान कला वाणिज्य	9 7 2	600/–	1.म.प्र. में किसी विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिये पंजीयनआर.डी.सी.मेंसाक्षात्कार के उपरांत किया हो । 2.पी.जी. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
2.	एम.फिल.	विज्ञान कला वाणिज्य	7 6 1	300/–	स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
3.	स्नातकोत्तर योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/–	वर्ष 2009–10 में स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
4.	स्नातकोत्तर योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250/–	वर्ष 2009–10 में अपनी स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
5.	खेलकूंद	छात्र छात्रायें	11 11	150/–	जो छात्र म.प्र. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल मे ंरहे हो या जो प्रदेश की व्यस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों मे ंसे किसी पर रहे हों
6.	स्नातक योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशंत अंक प्राप्त हों ।
7.	स्नातक योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150/–	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2009–10 में 55 प्रतिशंत अंक प्राप्त हों ।
8.	फिल्म एवं ,दूरदर्शन संस्थान पुणे	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों व्दारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
9.	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों व्दारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली	–	02	600/–	मध्यप्रदेश के छात्रों व्दारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर ।
11.	संस्कृत छात्रवृत्तियॉ	1.स्नातकोत्तर (एम.ए. क्लासिक)	07	250/–	वर्ष 2009–10 को उपाधि परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		2.आचार्य	07	250/–	वर्ष 2009–10 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50

स. क्रं.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र / छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
					प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
		3. स्नातक (बी.ए. क्लासिक)	11	150 / —	10+2 की वर्ष 2009—10 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		4. शास्त्री	18	150 / —	10+2 की वर्ष 2009—10 की परीक्षा में या उसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
		5.उत्तर मध्यमा	33	75 / —	पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
		6. पूर्व मध्यमा	33	75 / —	प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ं।
		7.प्रथमा	91	50 / —	पॉचवी परीक्षा मे ंयोग्यता के आधार पर प्रथम 91 छात्र—छात्राओं को